सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण, 1942 (श०)

संख्या- 368 राँची, शुक्रवार, 14 अगस्त, 2020 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

13 अगस्त, 2020

संख्या-एल0जी0-06/2020-330/लेज0-- झारखंड सरकार का निम्नलिखित अध्यादेश जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-10/08/2020 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड माल और सेवा कर (कतिपय प्रावधानों में छूट) अध्यादेश, 2020

(झारखण्ड अध्यादेश संख्या- 03, 2020)

झारखण्ड राज्य में झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (झारखण्ड अधिनियम 12, 2017) के प्रावधानों में, इसकी प्रयोज्यता और प्रवर्तन के संबंध में छूट देने हेतु अध्यादेश।

प्रस्तावना

चूँकि, भारत सहित विश्व के कई देशों में कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण जनजीवन को भारी क्षति हुई है, इस दृष्टिकोण से झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में समय-सीमा के विस्तार सहित कतिपय प्रावधानों को शिथिल करना अनिवार्य हो गया है ।

और चूँकि, झारखण्ड राज्य विधानसभा सत्र में नहीं है और झारखण्ड राज्यपाल को यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनमें झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (झारखण्ड अधिनियम क्रमांक 12, 2017) में कतिपय नये प्रावधानों को अंतर्विष्ट करने की तत्काल कार्रवाई आवश्यक है।

इसलिए अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश को प्रख्यापित करते हैं: -

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ -

(1) यह अध्यादेश झारखण्ड माल और सेवा कर (कतिपय प्रावधानों में छूट) अध्यादेश, 2020 कहलायेगा ।

(2) अन्यथा उपबंधित को छोड़कर इस अध्यादेश के उपबंध दिनांक 31 मार्च, 2020 से प्रवृत्त समझे जायेंगे।

2. नई धारा 168 क का अंतःस्थापन।

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168 के बाद, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात् -

'168 क. विशेष परिस्थितियों में समय-सीमा बढ़ाने की सरकार की शक्ति।

(1) इस अधिनियम में अंर्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी अप्रत्याशित घटना के कारण सरकार परिषद की अनुशंसा पर, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट अथवा विहित अथवा अधिसूचित कार्रवाई समय सीमा के अधीन पूर्ण नहीं होने अथवा इसका पालन नहीं होने के कारण समय-सीमा को विस्तारित कर सकती है।

(2) उप-धारा (1) के तहत के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति के अंतर्गत इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने की शक्ति शामिल होगी, जो इस अधिनियम के प्रवृत होने की तिथि के पूर्व की नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "अप्रत्याशित घटना" से अभिप्रेत है- युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, अग्नि, चक्रवात, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदा अथवा अन्यथा इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले मामले।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना
13 अगस्त, 2020

संख्या-एल0जी0-06/2020-331/लेज0-- माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-10/08/2020 को अनुमत **झारखण्ड माल और सेवा कर (कतिपय प्रावधानों में छूट) अध्यादेश, 2020** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

Jharkhand Goods and Services Tax (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020
(Jharkhand Ordinance No. 03, 2020)

An Ordinance to Provide relaxation in the provisions of Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Jharkhand Act 12, 2017), in regard to its applicability and enforcement within the State of Jharkhand.

Preamble

WHEREAS, in view of the spread of pandemic COVID-19 across many countries of the world including India, causing immense loss to the lives of people, it has become imperative to relax certain provisions, including extension of time limit, in the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017;

AND WHEREAS he legislative Assembly of State of Jharkhand is not in session and where as the Governor of Jharkhand is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action to bring certain new provisions in to the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017(Jharkhand Act No. 12, 2017).

Now, THEREFORE, in exercise of power conferred by Clause (1) of Article 213 of Constitution of India, the Governor of Jharkhand is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. **Short title and commencement**-

(1) The Ordnance may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020.

(2) As otherwise provided, it shall be deemed to be effective from 31th March, 2020.

2. **Insertion of new section 168A -** After section 168 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017, the following section shall be inserted, namely:-

'168A. Power of Government to extend time limit in special circumstances.

(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, extend the time limit specified in, or prescribed or notified under, this Act in respect of actions which cannot be completed or complied with due to *force majeure.*

(2) The power to issue notification under sub-section (1) shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of commencement of this Act.

Explanation, - For purpose of this section, the expression "force majeure" means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act.'.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 368 -- 50